ISSN 2249-0590
मीडिया प्रोफेशनलों के आत्मचिंतन और आत्ममंथन का प्रकल्प

मीडिया विमर्श

वर्ष–12, अंक–47, अप्रैल–जून 2018
ब्लॉग- mediavimarshindia.blogspot.in

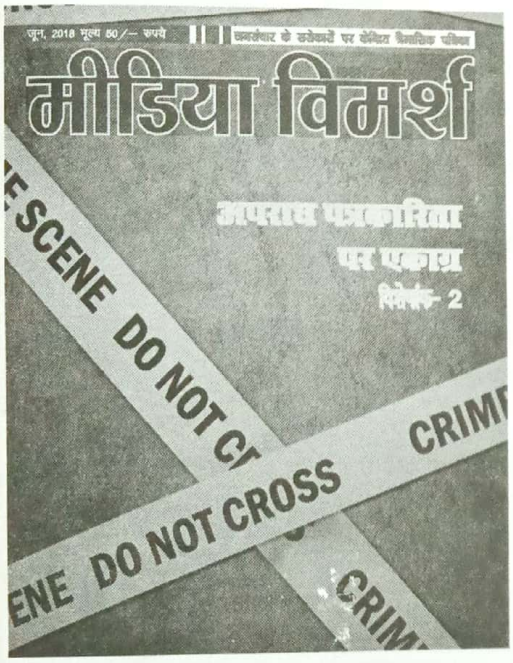

मानद सलाहकार संपादक
विश्वनाथ सचदेव

संपादक
श्रीकांत सिंह

संपादक मंडल
अष्टभुजा शुक्ल, गोपा बागची सुभद्रा राठौर, आरती सारंग

कार्यकारी संपादक
संजय द्विवेदी
मो. 09893598888

प्रबंध संपादक
प्रभात मिश्र, शीतलानंद तिवारी

समस्त पत्र व्यवहार का पता
428–रोहित नगर, फेज–1, भोपाल–462039 (मप्र)
मोबाइल : 09893598888
E-mail: mediavimarsh@gmail.com

सहयोग राशि
यह अंक : ₹ 50
वार्षिक : ₹200, (व्यक्तिगत) : ₹400 (संस्थागत)

ीआर्डर, ड्राफ्ट या चेक मीडिया विमर्श-भोपाल के नाम से ही भेजें।
बाहर के चेक में 40 रुपये अतिरिक्त जोड़ें।

समस्त पद अवैतनिक, रचनाओं का दायित्व रचनाकारों पर।
किसी भी विवाद का जूरिसडिक्शन रायपुर होगा।

एवं प्रकाशक भूमिका द्विवेदी द्वारा दृष्टि ऑफसेट, 37, प्रेस काम्पलेक्स,
ी.पी. नगर, भोपाल से मुद्रित कराकर एम.आई.जी.– 37, हाउसिंग बोर्ड
कालोनी, कचना, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित।
संपादक : श्रीकांत सिंह

इस अंक में...

अपराध पत्रकारिता

1. विवेक अग्रवाल 24
2. श्रीकांत सिंह 30
3. धनंजय चोपड़ा 34
4. संजय कुमार 36
5. शशि प्रकाश राय 40
6. ऋतेश चौधरी 45
7. गिरीश पंकज 48
8. योगेन्द्र पाण्डेय 51
9. अशोक कुमार 53
10. अनिल कुमार पाण्डेय 56
11. तुकाराम दौड़ 60
12. साकेत दुबे 64
13. दिवाकर दुबे 67
14. व्योमकेश पाण्डेय 69
15. अनुभूति सिंह 72
16. प्राची चौकसे 80

विशेष आलेख

रमेश चंद्र शाह 5

साक्षात्कार

मनीष चंद्र शुक्ल 10

शख्सियतः जगदीश उपासने

संजय द्विवेदी 20
मनोज कुमार 22

Advertising

Garima Patel 82

शोध अध्ययन

आरती सारंग/सत्यवती राठौर 85
वर्तिका नंदा 89

पुस्तक समीक्षा

रमेश नैयर 104
इंदिरा दांगी 106
वर्तिका नंदा 111

फिल्म समीक्षा

सविता सिंह 102

प्रसंगवश

बुशरा तुफैल/फातिमा किरमानी 88

अपराध कथा

संदीप नैयर 94
संदीप नैयर 98

Scanned with CamScanner

मौजूद है विश्वसनीयता का संकट

आज अखबार तभी पूरा माना जा सकता है जब उसमें अपराध की खबरों को प्रमुखता से स्थान दिया गया हो। अपराध की खबरों के बिना आज कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार चैनल पूरा नही हो सकता। आपराधिक खबरों के अभाव में वह अधूरा माना जाता है, क्योंकि आज का पाठक, दर्शक अपराध की खबरों दिलचस्पी दिखता है। वो दौर और थे जब अपराध की बड़ी से बड़ी घटनाओं को अखबार में जगह मिलना मुश्किल होता था, लेकिन आज हालात बिलकुल अलग है। आज अखबारों में अपराध की छोटी-से-छोटी घटना को भी इस अंदाज के साथ प्रकाशित किया जाता है कि उससे बढ़ कर कोई और खबर है ही नहीं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर से टेलीविजन चैनल ने तो अपने जन्म से ही अपनी प्रवृत्ति बना रखी है कि उन्हें खबरें वे दिखानी हैं जो बिक सकें। यही हालत ऑनलाइन पत्रकारिता की है। साइबर मीडिया के इस जमाने में क्राइम रिपोर्टिंग का काम काफी तेज हो गया है। समाचार के दफ्तरों में अपराध संवाददाता का मान सम्मान भी बढ़ गया है। यही कारण है कि आज पत्रकारिता में आने वाला हर युवा अपराध संवाददाता बनना चाहता है। यह क्षेत्र रोचक है। अपराध पत्रकारिता जितनी रोमांचक है, उतनी ही साहसिक व चुनौतीपूर्ण है। अपराध संवाददाता को शारीरिक व मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। उसे घटना की सूचना मिलने पर जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कहा ये जाता है कि अपराध संवाददाता बनने से पहले खुद से सवाल करें की क्या आप में चुनौतीपूर्ण कार्य करने का साहस है? किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उससे लड़ने की शक्ति है? आप में भरपूर आत्मविश्वास है? यदि इन सवालों का उत्तर हाँ में है, तो आप इस क्षेत्र में आने का ख्वाब संजोएँ।

राजनीतिक समाचारों के बाद अपराध समाचार काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं। बहुतेरे पाठकों व दर्शकों को अपराध समाचार जानने की भूख होती है। इसी भूख को शांत करने के लिये ही समाचार पत्रों में अपराध डायरी व चैनलों पर सनसनी, वारदात, क्राइम फाइल जैसे समाचार कार्यक्रम प्रकाशित-प्रसारित किये जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार किसी समाचार पत्र में लगभग पैंतीस प्रतिशत समाचार अपराध से जुड़े होते हैं। सच तो यह है कि अपराध के समाचार सामने आ जाने के बाद कुछ महत्त्वपूर्ण समाचारों को छोड़कर सभी बेमानी लगने लगते हैं।

योगेन्द्र पाण्डेय

हर संवाददाता के लिये यह समझना जरूरी है कि आपराधिक घटनाओं का सीधा सम्बंध व्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, समुदाय, धर्म और देश से होता है। आपराधिक घटनाओं का प्रभाव यदि व्यापक होता है तो यह जरूरी हो जाता है कि एक बड़े पाठक-दर्शक वर्ग का ख्याल रखा जाये तथा घटना से जुड़ी हर संभावित खबर, फोटो और खबर के पीछे की खबर को प्रकाशित व प्रसारित किया जाए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपराधिक समाचारों को संकलित, लिखते या प्रकाशित-प्रसारित करते समय उसकी कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक पहलुओं की सारी जानकारी प्राप्त की जाए। संवाददाता की विश्वसनीयता का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा जाये। वास्तव में अपराध समाचार लिखते समय अपनी जवाबदेही व उत्तरदायित्वों का पूरा का पूरा ख्याल करना जरूरी होता है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि अपराध संवाददाता नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिसे यह जानकारी

Scanned with CamScanner

सौंपी जा रही है, उसे पत्रकारिता के हर पहलू की जिम्मेदारी है भी या नहीं।

वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य इंदु प्रकाश जी का कहना है, "अपराध की खबर सिर्फ किसी वारदात की सूचना भर नहीं होती है अपराध की खबर लोगों को सतर्क और जागरुक करती है।" अपराधी वारदात के कौन से तरीके अपना कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, इसकी जानकारी अपराध के समाचारों से मिलती है। लोग यदि अपराध के समाचार में दी गई जानकारी पर ध्यान दें तो वह अपराधियों के चंगुल के आने से खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग ऐसी खबरों को गंभीरता से नहीं लेते और अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ठगी/जालसाजी/धोखाधड़ी के समाचार निरंतर आते रहते हैं। इसके बावजूद ऐसे अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपराध के समाचारों से लोग कुछ सबक नहीं लेते या फिर अपने लालच के कारण ठगों के जाल में फंसते जाते हैं। आज का पत्रकार ये सोचे समझे बिना कि गलत खबर से किसी पर क्या बीतेगी कुछ भी दिखा देता है। इसका उदहारण देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले एक चैनल ने दिल्ली की टीचर उमा खुराना के बारे में यह खबर चला दी कि वह छात्राओं से देह व्यापार कराती है। पुलिस ने भी बिना तफ्तीश किए तुरन्त उमा को जेल में डाल दिया। बाद में तहकीकात में पुलिस ने पाया कि उमा बेकसूर है और उसके बारे में दिखाई खबर फर्जी है। कुछ साल पहले की बात है एक सुबह न्यूज चैनलों ने खबर दी कि नोएडा में स्कूल बस दुर्घटना में पांच बच्चों की मौत हो गई। जबकि उस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई थी।

एक अन्य मामले में तो सनसनीखेज खबर दिखाने के चक्कर ने दिल्ली में एक युवक की जान ले ली। खबरों को सनसनीखेज तरीके से पेश करने वाले एक चैनल ने खबर चला दी कि इस युवक ने अपनी रिश्तेदार लड़की से बलात्कार किया है। इस खबर के कारण शादीशुदा इस युवक ने आत्महत्या कर ली। गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन क्राइम रिपोर्टिंग के ये तो कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा भी यह देखा गया है कि सबसे पहले दिखाने की होड़ में गलत या एकतरफा खबर दिखा दी जाती है। पुलिस के दावे को ही प्रमुखता दी जाती है। चाहे बाद में वह दावा कोर्ट में खोखला क्यों न निकले।

अपराध पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है और समय रहते समाचार जगत के लोगों ने इस पर ध्यान नही दिया तो अपराध पत्रकारिता अपने वजूद को खो देगी।

लेखक शिया पी.जी. कॉलेज, लखनऊ के पत्रकारिता विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं।

राष्ट्रवाद से जुड़ी बहसों के बीच
बहुत से सवालों के हल तलाशती एक किताब
राष्ट्रवाद, भारतीयता और पत्रकारिता
संपादक: संजय द्विवेदी
मूल्य- ₹ 650 (सजिल्द), ₹ 250 (पेपरबैक), पृष्ठ- 247
प्रकाशक- यश पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
1/10753, सुभाष पार्क, नवीन शाहदरा, दिल्ली
संपर्क- 9599483885, 86, 87, 88

Scanned with CamScanner